न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 15/2024

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

जवाराराम पुत्र राहूराम जाति भील निवासी गालानाडी तहसील सिणधरी

1. अशोक कुमार पुत्र वीरमाराम
2. पाबूराम पुत्र वीरमाराम
3. राणाराम पुत्र वीरमाराम
4. भवंरी पुत्री वीरमाराम
5. अमृता पुत्री वीरमाराम
6. कमलादेवी पुत्री वीरमाराम
7. खेमीदेवी पुत्री वीरमाराम
8. चतरू पुत्री वीरमाराम
9. जिमा पुत्री वीरमाराम
10. नेनूदेवी पुत्री वीरमाराम
11. अणसीदेवी पत्नि वीरमाराम
12. पुरोदेवी पत्नि वीरमाराम जाति भील निवासी गालानाडी तहसील सिणधरी
13. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 से 12 एकतरफा
3. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 13 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक– 23.07.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी खेत मौजा गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 204/10 रकबा 02.0073 हैक्टयर अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का अपना कब्जा काश्त व रहवासी घर पानी के टांके आदि बने हुए है। कि उक्त खसरे का पक्षकारान के द्वारा आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

में विभाजन करवा कर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया गया था जिसका विभाजन का नामान्तकरण भर दिया गया था और लट्ठा ट्रैस में तरमीम भी विभाजन के वक्त प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार की गयी थी और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त और काबिज है। जिसमें प्रार्थी को खसरा संख्या 401/1 दिया गया था और मूल खसरा संख्या 401 विप्रार्थीगण को दिया गया था। कि पक्षकारान के उक्त विभाजन की तरमीम को करते समय प्रार्थी खातेदार को खसरा संख्या 204 के किनारे-किनारे खसरा संख्या 205 के किनारे तक पहुंचाया गया था, ताकि प्रार्थी उक्त खसरे में चल रहें रास्तें से अपने खेत में आसानी से जा सकें। जबकि वर्तमान में तहसील के आनलाईन होने से प्रार्थी के उक्त खसरे में की हुई तरमीम जो मौके व कब्जा काश्त के अनुसार थी जिसमें भारी बदलाव कर तरमीम को गलत रुप से आनलाईन तरमीम कर दी गयी है। जिससे प्रार्थी अपने खेत के एक किनारे पर चल रहें रास्तें के रुप में उपयोग करना चाहता है जो नही हो पा रहा है। और प्रार्थी के उक्त एक मात्र रास्ता ही है, जो सार्वजनिक उपयोग में काम आता है। मौके पर रास्ता विद्यमान है जो आवागमन के उपयोग में लिया जा रहा है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 13 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 1 से 12 बावजूद नोटिस तालिम के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा। विवादित भूमि की मौका ज़ांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी खेत मौजा गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 204/10 रकबा 02.0073 हैक्टयर अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का अपना कब्जा काश्त व रहवासी घर पानी के टांके आदि बने हुए है। कि उक्त खसरे का पक्षकारान के द्वारा आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी में विभाजन करवा कर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया गया था जिसका विभाजन का नामान्तकरण भर दिया गया था और लट्ठा ट्रैस में तरमीम भी विभाजन के वक्त कर दी गयी थी और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त और काबिज है। जिसमें प्रार्थी को खसरा संख्या 401/1 दिया गया था और मूल खसरा संख्या 401 विप्रार्थीगण को दिया गया था। कि पक्षकारान के उक्त विभाजन की तरमीम को करतें समय प्रार्थी खातेदार को खसरा संख्या 204 के किनारे-किनारे खसरा संख्या 205 के किनारे तक पहुंचाया गया था, ताकि प्रार्थी उक्त खसरे में चल रहें रास्तें से अपने खेत में आसानी से जा सकें। जबकि वर्तमान में तहसील के आनलाईन होने से प्रार्थी के उक्त खसरे में की हुई तरमीम जो मौके व कब्जा काश्त के अनुसार थी जिसमें भारी बदलाव कर तरमीम को गलत रुप से आनलाईन तरमीम कर दी गयी है। जिससे प्रार्थी अपने खेत के एक किनारे पर चल रहें रास्तें के रुप में उपयोग करना चाहता है जो नही हो पा रहा है। और प्रार्थी के उक्त एक मात्र रास्ता ही है, जो सार्वजनिक उपयोग में काम आता है। मौके पर रास्ता विद्यमान है जो आवागमन के उपयोग में लिया जा रहा है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती अपनी बहस को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया प्रार्थी की खातेदारी खेत मौजा गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 204/10 रकबा 02.0073 हैक्टयर अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का अपना कब्जा काश्त व रहवासी घर पानी के टांके आदि बने हुए है। कि उक्त खसरे का पक्षकारान के द्वारा आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी में विभाजन करवा कर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया गया था जिसका विभाजन का नामान्तकरण भर दिया गया था और लट्ठा ट्रैस में तरमीम भी विभाजन के वक्त कर दी गयी थी और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त और काबिज है। जिसमें प्रार्थी को खसरा संख्या 401/1 दिया गया था और मूल खसरा संख्या 401 विप्रार्थीगण को दिया गया था। कि पक्षकारान के उक्त विभाजन की तरमीम को करतें समय प्रार्थी खातेदार को खसरा संख्या 204 के किनारे–किनारे खसरा संख्या 205 के किनारे तक पहुंचाया गया था, ताकि प्रार्थी उक्त खसरे में चल रहें रास्तें से अपने खेत में आसानी से जा सकें। जबकि वर्तमान में तहसील के आनलाईन होने से प्रार्थी के उक्त खसरे में की हुई तरमीम जो मौके व कब्जा काश्त के अनुसार थी जिसमें भारी बदलाव कर तरमीम को गलत रुप से आनलाईन तरमीम कर दी गयी है। जिससे प्रार्थी अपने खेत के एक किनारे पंर चल रहें रास्तें के रुप में उपयोग करना चाहता है जो नही हो पा रहा है। और प्रार्थी के उक्त एक मात्र रास्ता ही है, जो सार्वजनिक उपयोग में काम आता है। मौके पर रास्ता विद्यमान है जो आवागमन के उपयोग में लिया जा रहा है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 से होता है, इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होना चाहिए ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा (वतर्मान ऑनलाईन) में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:25 IST
Reason: SelfAttested

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 204/1 व खसरा खसरा नम्बर 204 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 23.07.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:25 IST
Reason: SelfAttested